न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर ।

अपील संख्या-114/2006

1- मु0 धापा पत्नी स्व0 माधाराम (मृतक) नाम हजफ
2- फूलाराम पुत्र माधाराम
3- लक्ष्मण पुत्र माधाराम
4- उमराव पुत्र माधाराम
5- भंवरी पत्नी मालीराम पुत्र माधाराम
6- बद्री पुत्र मालाराम पुत्र माधाराम
7- खामोशी पुत्री मालीराम पुत्र माधाराम

जाति गूर्जर निवासी लादिया तहसील नीमकाथाना जिला सीकर

---अपीलान्टस---

---बनाम---

1- उम्मेदसिंह पुत्र सबलसिंह जाति राजपूत निवासी लादिया तहसील नीमकाथाना जिला सीकर ।

2-मानकंवर बेवा सबलसिंह (मृतक नाम हजफ)

3-बीरबल पुत्र सबलसिंह (मृतक नाम हजफ)

4-प्रहलाद पुत्र सबलसिंह

5-गीता पुत्री सबलसिंह

समस्त जाति राजपूत निवासी लादिया तहसील नीमकाथाना जिला सीकर ।

6- मु0 बरजी पुत्री मु0 धापा पत्नी मालाराम जाति गूर्जर निवासी झाडली तह0 श्रीमाधोपुर जिला सीकर ।

--रेस्पोन्डेन्टस---

अपील विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री
दिनांक 18-4-2006 द्वारा उप
खण्ड अधिकारी नीमकाथाना ।

---0---

Web Copy - Not Official

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति-

1-श्री मदनलाल शर्मा एडवोकेट- अपीलान्ट

2-श्री रामप्रकाश गुप्ता एडवोकेट- रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक- 4.7.2018

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/रेस्पोडेन्ट-1 ने अदालत मातहत में दावा बाबत बेदखली व इस्तकरार हक व हर्जा का पेश कर निवेदन किया कि ग्राम लादिया तहसील नीमकाथाना में भूमि ख0नं0 1481 रकबा 0.04 हैक्टर, ख0नं0 1482 रकबा 1.00 हैक्टर, ख0नं0 1483 रकबा 0.11 हैक्टर, ख0नं0 1484 रकबा 0.39 हैक्टर, ख0नं0 1497 रकबा 0.13 हैक्टर कुल किता-5 रकबा 1.67 हैक्टर का सिंचाई का साधन कुआ ख0नं0 1493 में है । उक्त आराजी का एक मात्र खातेदार मृतक सबलसिंह था । सबलसिंह से जुबानी मालुम हुआ था कि उपरोक्त भूमि प्रतिवादी के रहन 500/- रूपये मे रखी हुई है । अगर मेरा स्वर्गवास हो जाये तो रूपये देकर छुडा लेना । सबलसिंह का स्वर्गवास जून 1975 में हो गया । जिसके बाद वादी ने प्रतिवादी संख्या-1 से जमीन छोडने को कहा कि तुम्हारा रूपया बेबाक(चुकता) हो गया । इस कारण इस जमीन को छोड दो । किन्तु प्रतिवादी सं0-1 ने नवम्बर 1993 को यह कहा की तुम्हारे रहन की मियाद निकल चुकी है। इस पर वादी ने विवादित आराजी की जमाबन्दी की नकल ली तो मालूम चला कि यह आराजी काफी लम्बे समय से रहन चली आ रही है । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955(1-4-1956 से लागू हुआ) दफा-45 राजस्थान काश्तकारी अधिनि में 20 वर्ष तक आराजी को रहन रखने का अधिकार है । दिनांक 1-4-1976 से प्रतिवादी बतौर अतिक्रमी है। प्रतिवादी सं0- 2 से 5 भी सबलसिंह के कानूनी वारिस है किन्तु वे सबलसिंह के जीवनकाल में ही अलग हो चुके थे। जिनका इस आराजी से कोई सम्बन्ध नहीं । प्रतिवादी सं0-2 सबलसिंह की बेवा व प्रतिवादी सं0-5 सबलसिंह की पुत्री है जो राजपूत जाति की होने से उनको इस रहन के बाबत कोई भी जानकारी नहीं थी । इस कारण प्रतिवादी सं0-2 से 5 को तरतीबी प्रतिवादी

बनाया है । सबलसिंह की मृत्यु के वक्त दिनांक 1-4-76 को वादी नाबालिग था । जो 1987 में बालिग हुआ । इस कारण वादी का दावा अन्दर मियाद है ।अतः दावा स्वीकार कर उक्त आराजी से प्रतिवादी को बेदखल किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी सं0-2 से 5 को कब्जा दिलाया जावे तथा उक्त आराजी का खातेदार घोषित कर रहन का नोट हटाया जावे । अदालत मातहत ने बाद सुनवाई वादी का दावा स्वीकार कर लिया जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है ।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है ।योग्य अदालत मातहत ने अपना निर्णय तनकीवार नहीं किया जबकि आदेश-14 नियम-2 सीपीसी में यह आज्ञापक प्रावधान है कि न्यायालय को अपना निर्णय तनकीवार करना चाहिये । आदेश-20 नियम-5 सीपीसी में यह स्पष्ट किया है कि जहां पर तनकीयों का निर्धारण किया जाता है वहा पर निर्णय तनकीवार किया जाना चाहिये । किन्तु अदालत मातहत ने इन आदेशो की कोई पालना न कर आदेश पारित किया है ।विवादित आराजी को वादी ने 500/-रूपये में अपने पिता द्वारा माधाराम के पास रहन रखने का उल्लेख किया हुआ है। किन्तु यह कही भी अंकित नहीं किया कि रहन किस तिथि, मिति व साल सम्वत मे रखी गयी थी तथा ना ही बाबत लिखावट कब लिखी तथा ना ही कोई लिखावट पेश की है ।तनकी संख्या-4 व 6 को वादी ने साबित नहीं किया तथा ना ही वादी के पक्ष मे सिद्ध मानी जा सकती है। अदालत मातहत ने इस तथ्य पर कोई गौर न कर अपना निर्णय पारित किया है ।जो विधि विरूद्ध है । तनकी संख्या-1 व 2 को भी वादी ने साबित नही किया। स्वयं वादी के कथनानुसार इसके पिता सबलसिंह की मृत्यु सन् 1975 में हो गई थी। उसके पूर्व से ही प्रतिवादी सं0-1 माधाराम का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है । यह तथ्य निर्विवाद है जिस पर अदालत मातहत ने कोई गौर न कर अपना निर्णय पारित किया है ।प्रतिवादी सं0-1 माधाराम ने अपने जबाब दावा के की चरण संख्या-5 में यह आपत्ति उठाई थी वादी/रेस्पोडेन्ट का दावा मियाद के अन्दर नहीं है

तथा विवादित आराजी पर माधाराम सबलसिंह व उसके कानूनी वारिसों की जानकारी मे उक्त आराजी पर काबिज चला आ रहा है जिसको 12 साल से भी अधिक समय हो गया जिसमे इनकी जानकारी से काबिज काश्तकार चला आ रहा है। इस बाबत अदालत मातहत को तनकी बनानी चाहिये थी किन्तु अदालत मातहत ने इस बाबत कोई तनकी कायम न कर इस बिन्दू पर कोई गौर न कर अपना निर्णय दिया है जो विधि के विपरित है । वादी/रेस्पोडेन्ट सं0-1 ने अपने पिता सबल सिंह की मृत मृत्यु सन् 1975 में होना बताया है । उस समय सबलसिंह की बेवा मानकंवर बालिग थी । वादी के दोनो भाई बीरबल एवं प्रहलादसिंह भी वादी से कही पहले बालिग हो चुके थे किन्तु उनके द्वारा कोई वाद पुस्तुत नहीं किया। इस प्रकार वादी द्वारा प्रस्तुत ~~xxxx~~ वाद स्पष्ट रूप से मियाद बाहर है । वादी ने वाद स्पष्ट रूप से मियाद बाहर पेश किया है। अदालत मातहत ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा-45 को अपने निर्णय में आधार बनाया है धारा-45 राज0 काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान इस दावा के विवाद व तथ्यों से मेल नही खाते हैं ।माधाराम विवादित आराजी पर गत सैटलमेन्ट के पूर्व से काबिज काश्तकार चला आ रहा है । खसरा गिरदावरी मे उसकी काश्त दर्ज है । माधाराम की मृत्यु के बाद अपीलान्टस् इस आराजी पर लगातार काबिज काश्त चले आ रहे हैं ।आराजी पर अपीलान्टस् के पुराने मकान बने हुये है ।बुजर्गो के श्मशान है ।इस आराजी से वादी एवं वादी के पिता सबलसिंह का कोई सम्बंध सरोकार नहीं रहा है ।वादी के पिता ने चालाकी से इस आराजी पर अपना नाम दर्ज करवाया है । जिस पर अदालत मातहत ने गौर न कर अपना निर्णय पारित किया है ।अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय एवं डिक्री निरस्त की जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

अतिरिक्त कलेक्टर एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

विद्वान वकील अपीलान्ट ने लिखित बहस पेश करते हुये कथन किया कि अदालत मातहत में विवादित आराजी के बाबत एक दावा वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या-1 ने अपीलान्ट के विरूद्ध पेश किया । जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या-1 उम्मेदसिंह ने यह कथन किया कि वादग्रस्त भूमि अपीलान्ट के पूर्वज माधाराम गूर्जर के पास 500/- रूपयों में रहन रख दी गई थी ।उक्त कृषि भूमियों को 20 वर्षों तक ही माधाराम को यह आराजी रहन रखने का अधिकार है ।उक्त आराजी की खातेदारी रेस्पो0 सं0-1 से 5 के नाम कराने का दावा पेश किया । जिसका माधाराम अपीलान्ट के पूर्वज ने जबाब पेश करते हुये दावा का खण्डन किया जिसमें निवेदन किया कि सबलसिंह के वारिसान में मानकंवर बेवा, बीरबलसिंह, प्रहलादसिंह, उम्मेदसिंह पुत्रगण, एवं दीपा पुत्री है । दावा अकेले प्रहलादसिंह ने पेश किया है जिसको अकेले को दावा पेश करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है ।जबाब दावे में यह स्पष्ट दर्ज किया है कि विवादित आराजी पर सबलसिंह ने गलत रूप से अपना नाम दर्ज करवाया है ।रहन रखने के तथ्य से इन्कार किया है तथा यह भी दर्ज किया कि रेस्पोडेन्ट ने दावा मियाद के बाहर पेश किया है । तथा विवादित आराजी पर अपीलान्ट का बुजर्गान के समरू से कब्जा काश्त रहा है । दावे में कुल 8 तनकीया बनाई जिनमें से 1 से 6 तनकीयों को साबित करने का भार वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या -1 पर था । किन्तु अदालत मातहत ने अपना निर्णय तनकीवार पारित नहीं किया जो निर्णय की परिभाषा में ही नहीं आता है ।जबकि अदालत मातहत को जब दावे मे तनकीयात कायम कर दी तो आदेश-20 नियम-5 सीपीसी के आज्ञापक प्रावधानो के अनुसार अपना निर्णय तनकीवाईज पारित किया जाना चाहिये किन्तु अदालत मातहत ने तनकीयात तो कायम की किन्तु उनका निर्णय नहीं कर आदेश 20 नियम-5 सीपीसी के आज्ञापक नियमों की अवेहलना कर आदेश पारित किया है ।आदेश-1 नियम-1 सीपीसी के अनुसार न्यायालय को दावा एवं जबाब दावा आने पर उनके आधार पर तनकीयात का निर्माण किया जाना चाहिये ।प्रतिवादी माधाराम ने अपने जबाब दावा की चरण संख्या-5 एवं 6 में दावा के अन्दर मियाद नहीं होने की आपत्ति उठाई है तथा सबलसिंह के सभी वारिसो को

कोई तनकी नहीं बनाई । इस प्रकार अदालत मातहत ने आदेश-14 नियम-1 सीपीसी के प्रावधानो की पालना नहीं करने के कारण अदालत मातहत का आदेश विधि विरूद्ध होने से काबिले निरस्त योग्य है ।जिसके समर्थन में एआईआर(उडीसा) पेज 142, एआईआर 1983(इलाहबाद) पेज 450 ए0आई0आर0 1992 (एम0पी0) पेज 258 पेश की । रेस्पोडेन्ट/वादी द्वारा 500/- रूपयो में वादग्रस्त भूमियों को अपने पिता द्वारा माधाराम के पास रहन रखने का उल्लेख किया गया है । किन्तु रहन किस तिथि मिति साल सम्वत में रखी गई थी, इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया । तथा न रहन की लिखावट की कोई तिथि मिति लिखी है तथा ही किसी गवाह का नाम बताया है। इससे तनकी संख्या-4 व 6 किसी भी स्थिति में वादी/ रेस्पोडेन्ट द्वारा सिद्व किया जाना नहीं माना जा सकता । अदालत मातहत ने बिना किसी आधार के उक्त आराजी को माधाराम के पास रहन रखी हुई मानकर आदेश पारित करने में कानूनी भूल की है । रेस्पोडेन्ट/वादी द्वारा तनकी संख्या-1 व 2 को किसी भी रूप में सिद्व नहीं किया गया है । रेस्पोडेन्ट स0-5 गीता सबलसिंह की प्रथम श्रेणी की कानूनी उत्तराधिकारी है। उसका ससुराल में अथवा पीहर में रहने से उसके कानूनी अधिकारों पर विपरीत प्रभाव नहीं पडता है ।उक्त आराजी पर अपीलान्ट के पूर्वज का प्रथम सैटलमेन्ट के पूर्व से कब्जा काश्त चला आ रहा है ।इस आराजी को माधाराम के बिना किसी आधार के रखा जाना मानकर आदेश विधि के विपरित पारित किया है ।अदालत मातहत ने अपना निर्णय केवल कयासों के आधार पर पारित किया है तथा धारा-45 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का मनमाना अर्थ निकालकर दावा डिक्री किया है जो विधि विरूद्ध है ।तनकी संख्या-7 व 8 को साबित करने का भार अपीलान्ट/प्रतिवादीगण पर था जिसने गवाह पेश किये किन्तु उन पर अदालत मातहत ने कोई गौर न कर अपना निर्णय दिया है। तथा गवाहन के बयानों को अमान्य करने का भी कोई कारण निर्णय में दर्ज नहीं किया ।अदालत मातहत का निर्णय एवं डिक्री आदेश 20 नियम, 4,5 व 6 सीपीसी में अन्तर्निहित तथ्यों की पालना नहीं कर अपना ही निर्णय दिया है।रेस्पोडेन्ट संख्या-1 ने सबलसिंह की मृत्यु सन् 1976 में होना

बताया है ।उसe समय सबलसिंह की बेवा मानकंवर तथा उम्मेदसिंह के दोनो भाई बीरबल एवं प्रहलादसिंह बालिग थे। इनका भी विवादित आराजी में उतना ही हक है जितना रेस्पोन्डेन्ट संख्या-1 का किन्तु इन्होने कोई दावा पेश नहीं किया जो इस बात का प्रतिक है कि सबलसिंह ने इस आराजी को माधाराम के पास रहन नहीं रखा। इसके बाद भी अदालत मातहत ने इस आराजी को माधाराम के पास रहन रखी जाना मानकर आदेश पारित करने में कानूनी भूल की है । इसके समर्थन में ए0आई0आर 2012(आर0ए0) पेज-4 पेश की तथा अपील अपीलांट स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय एवं डिक्री को निरस्त करने का निवेदन किया ।

विद्वान वकील रेस्पोन्डेन्ट ने बहस में अदालत मातहत के निर्णय को उचित एवं विधिक ठहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी का खातेदार रेस्पोन्डेन्टसं0-1,4,5 के पिता सबलसिंह की खातेदारी की भूमि है। सबलसिंह का देहान्त सन् 1976 माह जून मे हो गया था । उस समय रेस्पोन्डेन्ट को इस आराजी के रहन 500/-रूपये में माधाराम के होने की जानकारी मौखिक रूप से हुई ।जिस समय रेस्पोन्डेन्ट संख्या-1,3, व 4 का पिता सबलसिंह का देहान्त हुआ रेस्पोन्डेन्ट संख्या-1 नाबालिग था । जब रेस्पोन्डेन्ट संख्या-1 बालिग हुआ और उक्त आराजी के रहन रखे जाने की बात का मालूम चला तो रेस्पोन्डेन्ट संख्या-1 ने माधाराम से कहा कि आपका रहन का रूपया चुकता हो चुका है। इस आराजी को छोड दो माधाराम ने कहा कि वह बहि में जो लिखावट है उसको देखकर जबाब दूगा । माधाराम ने नवम्बर 1993 में माधाराम प्रतिवादी ने उक्त विवादित आराजी को छोडने से मना कर दिया । जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या-1 ने यह दावा किया। रेस्पोन्डेन्ट सन् 1987 में बालिग हुआथा । इस कारण रेस्पोन्डेन्ट संख्या-1 बालिग होने पर यह दावा अन्दर मियाद पेश किया है ।माधाराम ने विवादित आराजी का अपने जीवनकाल में कभी कोई लगान जमा नहीं करवाया है । अपिलान्टस् के पूर्वज माधाराम इस आराजी पर बतौर अतिक्रमी काबिज रहा है ।विवादित आराजी की खातेदारी सबलसिंह के नाम दर्ज है तथा इस आराजी के आगे रहन राजस्व रेकार्ड मे दर्ज है इसे हटाया जावे ।यह अंकन जमाबन्दी प्र0पी-1 मे 5 मे

आराजी ब0नं0 1481 से 1484, 1497 कुल किता-5 रकबा 1.67 हैक्टर की खातेदारी सबलसिंह पुत्र हरनाथसिंह राजपूत(रेस्पोडेन्ट संख्या-1, 3, 4, 5 के पिता() के नाम दर्ज है इसके आगे राहिन महादा पुत्र खांगा कौम गूर्जर सा0 घाटा मूर्तहिन दर्ज है ।राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पहले से माधाराम गूर्जर के भोग बंधक रखी हुई थी जिस कारण से अवधि 20 वर्ष की हो जाने से रहन राशी बिना अदा किये ही चुकता मान्य हो जाती है क्योकि इतने वर्षो में बंन्धक गृहिता ने भूमि की काश्त कर पर्याप्त लाभ प्राप्त कर लिया ।धारा-43(4(राज0 काश्तकारी अधिनियम में स्पष्ट किया गया है।राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में खातेदारी सबलसिंह के नाम दर्ज होने के साथ ही प्रतिवादी माधाराम गूर्जर के रहन होना दर्ज है। रहन होने का तथ्य प्रतिवादी ने जबाब मे इन्कार किया है किन्तु साक्ष्य में स्वीकार किया है जिसमें पी0डब्लू-1 उम्मेद सिंह व डी0डब्लू-1 लक्ष्मण से भी स्पष्ट है ।रहन को हटाने के बाबत प्रतिवादी ने वादी को कभी भी नही कहा और ना ही वादी ने कभी मना किया ।रहन की जानकारी प्रतिवादी को राजस्व रेकार्ड से शुरू से ही रही है। इससे प्रतिवादी/अपीलांट इन्कार नहीं कर सकते ।अपीलान्ट ने एक राजस्व वाद सं0-106/1993 माधाराम बनाम मांनकंवर पेश किया जो दिनांक 22-3-2003 को अदम हाजरी में खारिज हो गया । जिससे भी अपीलान्ट प्रतिबन्धित है। प्रतिवादी विवादित आराजीपर वादी का कोई कब्जा काश्त नहीं बताया। तथा इसके दूसरी तरफ प्रदर्श-7 जो दूसरा दावा है उसकी मद सं0-5 में प्रतिकूल कब्जे का कथन क्यो किया । इस प्रकार उक्त दोनो कथन एक दूसरे के विरोधाभाषी है ।अपीलान्ट ने लिखत बहस पेश की है किन्तु पूर्व के दावा सं0-106/1993 निर्णय दिनांक 22-2-1993 के बाबत कोई कथन नहीं किया। अपीलाट का एक ही उज्र रहा कि निर्णय तनकीवाईज नहीं किया । यदि निर्णय गुणावगुण किया जाता है तो तनकीवाईज निर्णय कोई महत्व नहीं रखता है । अदालत मातहत का निर्णय उचित एवं विधिक है।अपीलान्ट के लिखित बहस पेश करने पर रेस्पोडेन्ट ने भी मौखिक बहस के अतिरिक्त लिखित बहस पेश की है ।

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का एवं लिखित बहस का अवलोकन किया गया ।जमाबन्दी प्रदर्श-1 में विवादित आराजी की खातेदारी सबलसिंह पुत्र हरनाथसिंह कौम राजपूत राहिन माधा पुत्र खांगा कौम गूर्जर सा0 घाटा मूर्तहीन दर्ज

है। प्रदर्श-1ए खसरा गिरदावरी सं0-2012 से 2015, 2016 से 2018 में खातेदारी सबलसिंह पुत्र हरनाथ राहिन माधा वल्द खांगा कौम गूर्जर के नाम दर्ज है जिस पर काश्त माधा वल्द खागा की दर्ज है । प्रदर्श-6 विवादित आराजी का दावा अपीलान्ट के पूर्वज माधा ने किया जो मु0नं0 106/1993 उनवान माधा बनाम मान कंवर आदि था जो प्रदर्श-7 जिसमें दिनांक 22-2-2003 को यह दावा अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया गया । जमाबन्दी सं0-2050 से 2053 में उक्त आराजी सबलसिंह पुत्र हरनाथसिंह कौम राजपूत के नाम दर्ज है जिस पर राहिन माधा पुत्र खागा कौम गूजर सा0 धाटा मूर्तहिन दर्ज है । यह अंकन खसरा गिरदावरी सं0-2012 से 2018 एवं 2031 तक में दर्ज है ।खसरा गिरदावरी सं0-2012 से 2019 तक में मादया का कब्जा काश्त दर्ज है । इसके बाद खातेदार की खुद काश्त दर्ज है तथा माधा की भी काश्त दर्ज है ।अदालत मातहत ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा-45 के तहत पूर्व में खातेदार को 20 साल तक रहन रखे जाने का अधिकार था। इसके सम्बन्ध में निर्णय में विवेचन कर रहन का रूपया बैकाक हो चुका लिखा जाकर आदेश पारित किया है। इस बाबत विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी लिखित बहस में बिन्दू संख्या-7 में केवल यह दर्ज किया है कि अदालत मातहत ने धारा-45 राजस्थान काश्तकारी अधि 1955 का मनमाना अर्थ निकालकर दावा डिक्री किया है ।विद्वान वकील अपीलान्ट का यह तर्क मानने योग्य नहीं है । अपीलान्ट ने विवादित आराजी को 20 वर्ष तक काश्त कर रहन का रूपया बिना चुकाये भी वसूल कर लिया है । तथा अपीलान्ट का दावा सं0- 106/1993 अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में दिनांक 22-2-2003 को खारिज हो चुका जिसकी आगे कोई अपील नहीं की है ।अपीलान्ट इस दावे के निर्णय से भी पाबन्द है ।अपीलान्ट का यह तर्क कि अदालत मातहत ने दावे में तनकीयात बनाई है किन्तु उनका निर्णय तनकीवाईज न कर आदेश-20 नियम-5 सीपीसी की कोई पालना न कर आदेश पारित किया है। जबकि आदेश-20 नियम-5 सीपीसी आज्ञापक आदेश है जिसकी पालना आवश्यक है । जब अदालत मातहत ने तनकीयों का निर्धारण कर दिया तो उनका निस्तारण भी तनकीवाईज निर्णय करते हुये ही किया जाना चाहिये जैसा उनके द्वारा प्रस्तुत नजीरों से स्पष्ट है ।अपीलान्ट का यह तर्क मानने योग्य है

कि जब दावे मे तनकीयो का निर्धारण किया जा चुका है तो प्रत्येक तनकी का विशेष निर्णय करते हुये दावे का निर्णय किया जाना चाहिये। अदालत मातहत ने दावे मे कुल 8 तनकीया बनाई है किन्तु एक भी तनकी का निर्णय न कर दावे का निर्णय किया है जिसे यथावत रखा जाना उचित नही मानते बल्कि प्रकरण को प्रस्तुत नजीरो के परिप्रेक्ष्य में प्रत्येक तनकी का निर्णय करते हुये दावा का निर्णय करने के लिये रिमाण्ड किया जाना उचित मानते हैं ।

अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18-4-2006 खारिज किया जाता है तथा प्रकरण अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह प्रकरण में आदेश-20 नियम-5 सीपीसी की पालना करते हुये अपना निर्णय पुनः पारित करें ।प्रकरण काफी पुराना है।अतः प्रकरण का निस्तारण तीन माह में निर्णित किया जावे । पक्षकार अदालत मातहत मे दिनांक 24-7-2018 को उपस्थित होवें ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 4.7.2018 को सुनाया गया ।

4/7/18

(भंवरलाल मेहड़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर